मुकदमा संख्या:- 122/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
14.05.2024		

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा धमाणा, पटवार हल्का–धमाणा में प्रार्थीगण के बाप–दादों की खातेदारी कब्जासुदा की भूमि खसरा संख्या 1249 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1252 रकबा 1.73 है, खसरा संख्या 1255 रकबा 0.03 है, खसरा संख्या 1323 रकबा 0.28 है, खसरा संख्या 1581 रकबा 0.26 है, जूमले रकबा 2.39 हैक्टेयर की आई हुई है जिसमें 1/8 हिस्सा प्रार्थीगण का अलग मौके पर कब्जा काश्त का आया हुआ है वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा बहामी व भौतिक तौर पर हमारे पिता के जीवनकाल में ही यानि करीब 40–50 वर्ष पूर्व हो चुका था, जिसके मुताबिक प्रार्थी के पिता सरदारसिंह अलग खेतबाड़ी करते थे उनके फौत होने के पश्चात हम प्रार्थीगण माफिक बहामी व भौतिक बंटवाड़ा अनुरूप खेतबाड़ी करते आ रहे है जो नक्शा प्रदर्श 'अ' में गुलाबी रंग में दर्शाया गया है, तथा मौके पर अलग माठ कायम है उक्त आराजी जो 40–50 वर्ष पूर्व किये गये बंटवाड़े के माफिक प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त होकर खेतबाड़ी करते है परन्तु अप्रार्थीगण की नियत में बदलाव आ गया है तथा पूर्व में किये गये बहामी व भौतिक तौर के बंटवाड़े से मुकर कर रेकर्ड में दर्ज हिस्से से ज्यादा भूमि हड़पना चाहते है जबकि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण रेकोर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिस पर 50 वर्षों से काबिज काश्त है, बावजूद इसके अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने जबरन कब्जा करने तथा बेचान करने पर आयादा है जबकि प्रार्थीगण अपने बंटवाड़े माफिक बंट आई भूमि पर वर्षों से काबिज काश्त है तथा सहज शांतिपूर्ण काश्त कब्जा तथा अपने हिस्से आई भूमि से तथा अलग कब्जा काश्त होने से तथा अलग माठ कायम होने से अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मुलभूत कानुनी स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के तथ्य गलत एवं सारहीन है, अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के [illegible] वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी [illegible] की [illegible] है कि मौजा धमाणा, पटवार हल्का–धमाणा के खेत [illegible] 1252, 1255, 1323, 1581 जूमले रकबा 2.39 हैक्टेयर भूमि के [illegible] राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:39:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) सांचौर